ग्राम पंचायत मंदल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176001
के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मंदल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री रणजीत सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री तिलक राज	01.04.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती आशा देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मंदल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.02
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.18
3	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.02
4	8	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
5	9.1	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	0.69
6	9.2	प्रति घन फुट अनुमोदित दर के स्थान पर प्रति टिप्पर की दर से अनियमित/संदिग्ध भुगतान	0.60

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/203 दिनांक–29.03.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 7 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 24 (उप पैरों सहित) पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 24 पैरों के साथ– साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपत्तियों की भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	4,4.1	अनिर्णीत	–
2.	5.1	अनिर्णीत	–
3.	5.2	अनिर्णीत	–
4.	5.4	अनिर्णीत	–
5.	6	अनिर्णीत	–
6.	7	अनिर्णीत	–
7	8	अंशतः निर्णीत	(शराब शुल्क की वसूली अभी की जानी अपेक्षित है।)
8	9	अनिर्णीत	–
9	10	अनिर्णीत	–
10	11	अनिर्णीत	–
11	12	अनिर्णीत	–
12	13	अनिर्णीत	–
13	14	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि माँग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 66 से करने उपरान्त
2.	4 क,ख	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3.	4.1,4.2	अनिर्णीत	
4.	4.3,4.4	अनिर्णीत	–
5.	5	निर्णीत	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित संलग्न अभिलेख के दृष्टिगत
6	6(क)(ख)	अनिर्णीत	–

	(ग)		
7	6.1	निर्णीत	सम्पति कर प्राप्ति से सम्बन्धित संलग्न अभिलेख के दृष्टिगत
8	7	अनिर्णीत	–
9	8	अनिर्णीत	–
10	9	अनिर्णीत	–
11	10	अशतःनिर्णीत	पैरे की सारणी के क्रम 1 व 2 की राशि 2565 की वसूली रसीद संख्या 136119 द्वारा करने पड़ताल दिनांक 09.08. 2024 को खाता संख्या 50052652953 में जमा करवाने के दृष्टिगत
12	11	अनिर्णीत	–
13	12	अनिर्णीत	–
14	13	अनिर्णीत	–
15	14	अनिर्णीत	–
16	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत
17	16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मंदल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.04.2025 से 26.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2023–25	12/2024	10/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर

किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/271 दिनांक–26.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/263 दिनांकः–22.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	258339.30	189930.00	448269.30	112858.30	335411.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1529861.07	5698242.45	7228103.52	5910485.62	1317617.90

कुल योग (1+2) 335411.00+1317617.90 **=1653028.90**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹16,53,028.90 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹16,54,834.67 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052652953	335174.77
2	5वाँवित्त	का•के•सह•बैंक मसरेड	20097030498	101263
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052653060	601
4	एम.एम.जी.पी. वाई/14वाँवित्त	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052653037	1779
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052652942	22745
6	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052652997	88637
7	एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052652919	81458
8	एन.आर.एच.एम	का•के•सह•बैंक मसरेड	50052653048	10666
9	15वाँवित्त/पी.एस/ जेड.पी	एच•डी•एफ•सी•बैंक धर्मशाला	50100374008077	1012273.90
	हस्तगत शेष दिनांक 31.03.2025 को , स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड बही के अनुसार			237
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः—				₹1654834.67
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹1653028.90
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः—				₹1654834.67
अन्तरः—				1805.77

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत मंदल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1805.77 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/265 दिनांकः–23.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹2,57,708.30 से ₹3,35,174.77 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/273 दिनांकः 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 05/2025 दिनांक 26.04.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹13.18 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/263 दिनांकः–22.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹13,17,617.90/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	**अनुदान का नाम**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	78531
2	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2025	601
3	एस.डी.पी	31.03.2025	88637
4	एम.पी.लेड	31.03.2025	43672
5	एस.डी.आर.एफ	31.03.2025	81458.00
6	एन.आर.एच.एम	31.03.2025	10666.00
7	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2025	1109.23
8	14वाँ वित्त	31.03.2025	669.77
9	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1012273.90
		कुल जोड	**1317617.90**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष अनुदान के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/266

दिनांक–23.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹1520/– की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/263 दिनांकः–22.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹1520/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/267 दिनांकः–24.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने पड़ताल सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.03/–लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना व सभा निधि में अनियमित जमा करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क

निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/263 दिनांकः–22.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत मंदल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹3200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, फलस्वरूप सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/268 दिनांकः–24.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मंदल के ध्यानार्थ तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सभा निधि में जमा करवाया गया, जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति पड़ताल सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.69/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹68836.68/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/269 दिनांकः–25.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 05/2025 दिनांक 26.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व अनभिज्ञता में किया गया है वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 निर्माण कार्यो के लिये मिट्टी ढुलाई व भराव करने हेतु अनुमोदित प्रति घन फुट निविदा दर के स्थान पर प्रति टिप्पर की दर से किये गये ₹0.60/– लाख के अनियमित व संदिग्ध भुगतान बारेः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के प्रावधानानुसार सम्बद्ध पंचायत का सचिव पंचायत निधि से किए गए अति संदाय चाहे सदभाव से किया गया हो, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 10/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी ढुलाई व भराव करने हेतु आंत्रित टेण्डर के उत्तर में मै0 अरविंद कुमार सरकारी ठेकेदार मंदल द्वारा ₹15 प्रति घन फुट, मै0 दिनेश कुमार सरकारी ठेकेदार द्वारा ₹16/– प्रति घन फुट तथा मै0 जय बाबा बालक नाथ घुरकड़ी द्वारा ₹ 16/– प्रति घन फुट की दरें दी गई थी। न्यूनतम दर के आधार पर मै0 अरविंद कुमार सरकारी ठेकेदार मंदल को यह कार्य आबन्टित किया गया, परन्तु बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य का भुगतान ₹15/– प्रति घन फुट मिट्टी की अनुमोदित दर के स्थान पर प्रति टिप्पर ₹1365/– की दर से निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹**60060/– का भुगतान किया गया था। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किसी भी अभिलेख में एक टिप्पर में लाई गई मिट्टी की मात्रा का विवरण दर्ज नहीं था। अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत अभिलेख में मिट्टी, टिप्पर द्वारा ढुलाई की गई मात्रा आदि की तकनीकी व्यक्ति/अधिकारियों द्वारा पुष्टि एवं नियमानुसार सत्यापना सम्बन्धी तथ्य एवं आंकड़े की मात्रा उपलब्ध न होने के कारण यह **₹**60060/– का भुगतान अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है:–

क्र0सं0 व अनुदान	**वाउचर सं/दिनांक**	**बिल संख्या / दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रय सामग्री व मात्रा**	**दर**	**राशि (₹)**
1.15वां वित	पी/65/07.10.2024	017/12.09.2024	मै0 अरविंद कुमार सरकारी ठेकेदार मंदल	मिट्टी ढुलवाई व भराव <u>12 टिप्पर</u>	1365	16380
2.मनरेगा	निल/25.10.2024	387/08.08.2024	मै0 अरविंद कुमार सरकारी ठेकेदार मंदल	मिटटी खरीद <u>32 टिप्पर</u>	1365	43680
					कुल योग	**60060**

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/272 दिनांकः–24.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त किये गए व्यय से सम्बन्धित तकनीकी प्रमात्रा प्रमाण प्रत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित व समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि में किये गये ऐसे सभी संदिग्ध प्रकरणों की संस्था/विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति नियमों के अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "6"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मनरेगा मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री आपूर्ति के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के संबंध में कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/273 दिनांकः– 26.04.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मंदल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/263 दिनांकः 22.04.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
8	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
9	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
10	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/263 दिनांकः–22.04.2026 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–05/2025 दिनांकः–26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

13.1 ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि ₹0.11/– लाख की समायोजित व्यय प्रविष्टि की बैंक में पुष्टि न होने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातों में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत एस.डी.आर.एफ की ऑनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹11392/– की समायोजित प्रविष्टि व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। इस प्रविष्टि के समर्थन में पड़ताल हेतु समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा इसकी बैंक में भी पुष्टि नहीं हो पाई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी हैः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	एस.डी. आर.एफ	पी/21/03.09.2024	व्यय	Amount Adjust	12	11392

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/273 दिनांकः—26.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मंदल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 05/2025 दिनांकः—26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की एस.डी.आर.एफ की रोकड़ बही में समायोजित प्रविष्टि की गई थी, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने ***उपरान्त*** अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

13.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2024—25 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.3 मनरेगा मस्ट्रोल द्वारा अधिक भुगतान करने बारे :—

चयनित माह के मनरेगा व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मस्ट्रोल का अधिक भुगतान किया गया थाः—

वाउचर संख्या/दिनांक	मस्ट्रोल संख्या	अपेक्षित भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
शून्य/03.10.2024	2618	8400	8600	200

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/273 दिनांकः—26.04.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव मंदल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र

संख्याः— 05/2025 दिनांकः—26.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त किये गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने पड़ताल व सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति
30 JUN 2025
4055 — 4059

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)65/2016—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्यां 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मन्दल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

FINANCIAL POSITION OF GP MANDAL BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176001 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

Sr No	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	2024-25	258339.30	189930.00	448269.30	112858.30	335411.00

2 GRANTS-IN-AID

Sr No	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	2024-25	**1529861.07**	5698242.45	7228103.52	5910485.62	1317617.90

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT MANDAL
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-" 6 ")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MANDAL FOR THE YEAR 2024-2025

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2024-25	97242.00	534744	631986.00	553455.00	78531.00
2	VKVNY	2024-25	45340.00	42869	88209.00	87608.00	601.00
3	SDP	2024-25	149883.00	244879	394762.00	306125.00	88637.00
4	MPLADS	2024-25	43672.00	690	44362.00	690.00	43672.00
5	SDRF	2024-25	129569.00	805484	935053.00	853595.00	81458.00
6	NRHM	2024-25	10666.00	324	10990.00	324.00	10666.00
7	MMGPY	2024-25	1109.00	49640	50749.00	49639.77	1109.23
8	14TH FC	2024-25	669.77	0	669.77	0	669.77
9	15TH FC	2024-25	1051710.30	1524561	2576271.30	1563997.4	1012273.90
10	NREGA	2024-25	0.00	2495051.45	2495051.45	2495051.45	0
	Total		1529861.07	5698242.45	7228103.52	5910485.62	1317617.90

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT MANDAL
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत मंदल विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176001

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत मंदल के दिनांक 01-04-2024 व 31-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052652953	257708.30	335174.77
02	5TH SFC	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	20097030498	119974	101263
03	MPLAD	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052652942	22745	22745
04	SDP	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052652997	149883	88637
05	SDRF	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052652919	118177	81458
06	NRHM	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052653048	10666	10666
07	VKVNY	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052653060	56732	601
08	MMGPY/14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक मसरेहड	50052653037	1778.77	1779
09	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	HDFC Bank Dharmshala	50100374008077	1051710.30	1012273.90
10	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			631	237
			कुल योग	1790005.37	1654834.67

PANCHYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN / SECY
GRAM PANCHYAT MANDAL
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या " 7 ")

कार्यालय ग्राम पंचायत मंदल विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.-176001

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत मंदल में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 685 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	970	685	50	34250	35220	33700	1520

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT MANDAL
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

PANCHYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट "5 " (पैरा संख्या - '8'')

ग्राम पंचायत मंदल विकास खण्ड धर्मशाला, द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
1	श्री रवि कुमार सुपुत्र अमर सिंह	12.03.2024	01.04.2024	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 0891937 Date- 01-04-2024
2	श्री अमन चौधरी सपुत्र वीर सिंह	28.01.2024	26/04/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 0891948 Date- 26-04-2024
3	श्री पंकज चौधरी सपुत्र देश राज	13.04.2024	07.05.2024	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 0 891957 Date-07-05-2024
4	श्री रितेश वालिया सपुत्र कुशल वालिया	12.10.2024	24.10.2024	200	200	0	R/N 136166 Date-24-10-2024
5	श्री सचिन चौधरी सपुत्र मदन लाल	07.10.2024	01.11.2024	200	200	0	R/N 136171 Date-01-11-2024
6	श्री जसविन्द्र कुमार सपुत्र चमन लाल	07.10.2024	06.11.2024	200	200	0	R/N 136176 Date-06-11-2024
7	श्री विनय कुमार सपुत्र मस्त राम	18.11.2024	07.12.2024	200	200	0	R/N 136185 Date-07-12-2024
8	श्री साहिल कटोच सपुत्र विनोद कटोच	03.11.2024	11.12.2024	400	400	0	R/N 136190 Date-11-12-2024
9	श्री प्रदीप कुमार सपुत्र देश राज	24.11.2024	18.12.2024	200	200	0	R/N 248901 Date-18-12-2024
10	श्री मिथयाश चौधरी सपुत्र महिंद्र सिंह	11.12.2024	31.12.2024	200	200	0	R/N 248905 Date31.12.2024
11	श्री अवनीश कुमार सपुत्र पुन्नू राम	10.11.2024	13.01.2025	400	400	0	R/N 248917 Date:- 13.01.2025
12	श्री मनीष चौधरी सपुत्र प्यार सिंह	16.01.2025	07.02.2025	200	200	0	R/N 248930 Date :- 07.02.2025
13	श्री अश्वनी कुमार सपुत्र रमेश चंद	20.02.2025	10.03.2025	200	200	0	R/N 248943 Date :- 10.03.2025
	Total			₹ 3,200.00	₹ 3,200.00		

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT MANDAL

22

परिशिष्ट–6 पैरा संख्या–" 91"

कार्यालय ग्राम पंचायत मंदल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176001 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री								
क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा / प्रति घन फुट	दर	राशि
1	MNREGA	NIL/07/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	346/29/05/2024	SNAD CRASHER	150	44.63	6693.75
2	MNREGA	NIL/23/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	361/28/06/2024	SNAD CRASHER	120	44.63	5355.00
					AGG.CRASHER	120	33.60	4032.00
3	MNREGA	NIL/07/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	352/03/06/2024	SNAD CRASHER	200	44.63	8925.00
4	SDRF	103/24/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	391/13/08/2024	SNAD CRASHER	150	52.92	7938.00
					BAZRI CRASHER	250	47.99	11996.25
5	SDRF	98/11/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	014/04/09/2024	BOULDER	189	27.99	5290.68
6	MNREGA	NIL/05/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	385/23/07/2024	SNAD CRASHER	140	52.92	7408.80
7	15TH FC	60/07/10/2024	Arvind Kumar Govt.Contractor V.P.O Mandal	016/11/09/2024	BOULDER	400	27.99	11197.20
					कुल योग			68836.68

नोट:–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा **X** और **W** फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

3. All figures are taken including GST @ 5%.

PANCHYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECY

GRAM PANCHYAT MANDAL

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)